रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 23, 2017/भाद्र 1, 1939
No. 223] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 23, 2017/BHADRA 1, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2017

सं० 18/2015–2020

विषयः प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 के अध्याय 2 के पैरा 2.84 में संशोधन।

फा.सं.01/61/180/59/एएम–16/पीसी–3.–विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी), 2015–20 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 के अध्याय 2 का मौजूदा पैरा 2.84:

''स्तरधारक निर्यात संवर्धन हेतु 10 लाख रु० की वार्षिक सीमा या गत तीन लाइसेन्सिंग वर्षों के दौरान वार्षिक औसत निर्यात प्राप्ति के 2%, जो भी कम हो, की शर्त के अधीन मुक्त रूप से निर्यात की जाने वाली मदों का निःशुल्क लागत आधार पर निर्यात करने के लिए हकदार होंगे।''

प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 के अध्याय 2 का संशोधित पैरा 2.84:

''स्तरधारक एक करोड़ रु० की वार्षिक सीमा या गत तीन लाइसेन्सिंग वर्षों के दौरान वार्षिक औसत निर्यात प्राप्ति के 2%, जो भी कम हो, की शर्त के अधीन निर्यात संवर्धन हेतु मुक्त रूप से निर्यात की जाने वाली मदों (रत्न एवं आभूषण, सोने की वस्तुओं और कीमती धातुओं को छोड़कर) का निःशुल्क लागत आधार पर निर्यात करने के लिए हकदार होंगे। भेषज कम्पनियों द्वारा भेषज उत्पादों के निर्यात के लिए वार्षिक सीमा गत तीन लाइसेन्सिंग वर्षों के दौरान वार्षिक औसत निर्यात प्राप्ति का 2% होगी। अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे यूएन और डब्ल्यूएचओ–पीएएचओ के स्वास्थ्य कार्यक्रमों और सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए भेषज उत्पादों, टीकों और जीवनरक्षक दवाओं की आपूर्ति के मामले में वार्षिक सीमा गत तीन लाइसेन्सिंग वर्षों के दौरान वार्षिक औसत निर्यात प्राप्ति के 8% तक होगी। ऐसी निःशुल्क आपूर्तियां किसी निर्यात संवर्धन स्कीम के अंतर्गत शुल्क वापसी या किसी अन्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए हकदार नहीं होंगी।''

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः स्तरधारकों द्वारा निःशुल्क लागत आधार पर मुक्त रूप से निर्यात की जाने वाली मदों का निर्यात करने की हकदारी संशोधित कर दी गई है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 23rd August, 2017

No. 18/2015—2020

Subject: Amendment in Para 2.84 of Chapter 2 of HBP 2015—2020

F. No. 01/61/180/59/AM16/PC-3.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy 2015–2020, Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in the Handbook of Procedures (HBP) 2015–20 with immediate effect:

Existing Para 2.84 of Chapter 2 of HBP 2015-2020:

"Status holders shall be entitled to export freely exportable items on free of cost basis for export promotion subject to an annual limit of Rs. 10 lakh or 2% of average annual export realisation during preceding three licensing years, whichever is lower"

Amended Para 2.84 of Chapter-2 of HBP 2015-2020:

"Status holders shall be entitled to export freely exportable items (excluding Gems and Jewellery, Articles of Gold and precious metals) on free of cost basis for export promotion subject to an annual limit of Rupees One Crore or 2% of average annual export realization during preceding three licensing years, whichever is lower. For export of pharma products by pharmaceutical companies, the annual limit would be 2% of the average annual export realisation during preceding three licensing years. In case of supplies of pharmaceutical products, vaccines and lifesaving drugs to health programmes of international agencies such as UN, WHO-PAHO and Government health programmes, the annual limit shall be upto 8% of the average annual export realisation during preceding three licensing years. Such free of cost supplies shall not be entitled to Duty Drawback or any other export incentive under any export promotion scheme."

Effect of this Notification: Entitlement to export freely exportable items on free of cost basis by Status Holders has been revised.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.08.24 15:29:32 +05'30'